

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर खेतड़ी जिला झुंझुनूं (राज.)


मिसल संख्या :- 373/2022

:- आदेश :-

दिनांक :- 16.02.2023

प्रार्थी के खाता दुरुस्ती प्रार्थना पत्र व तहसीलदार (भू0अ0) खेतड़ी की अभिशंषा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम रसुलपुर की जमाबन्दी सम्वत् 2075-2078 के खाता संख्या 96 में वर्तमान दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर तहसीलदार (भू0अ0) खेतड़ी को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते है। खाते की शेष प्रविष्टियां यथावत रहेगी। रहन यदि कोई हो, तो रहन मुक्त होने पर ही आदेश का अमल हो।

क्र. सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है।)
1.	रसुलपुर	96	किशोर पुत्र झुथा	किशोरी लाल शर्मा पुत्र झुन्थाराम

  
( जय सिंह )

उपखण्ड अधिकारी एवं  
पदेन सहायक कलक्टर खेतड़ी

क्रमांक :- राजस्व/2023/200-201

दिनांक :- 16-2-23

प्रतिलिपि:-

1. तहसीलदार (भू0अ0) खेतड़ी को वास्ते पालनार्थ।
2. प्रार्थी किशोरीलाल शर्मा पुत्र श्री झुन्थाराम जाति ब्राह्मण निवासी रसुलपुर तहसील खेतड़ी हाल आबाद आदर्श कॉलोनी चिड़ावा जिला झुंझुनूं को वास्ते सूचनार्थ।

  
उपखण्ड अधिकारी खेतड़ी